उत्तराखण्ड शासन
वित्त आडिट प्रकोष्ठ
सं0–159/xxvii(26)/2016
देहरादूनः दिनांकः 07 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड में वित्तीय प्रबन्धन के आधुनिकरण तथा बाह्य एवं आंतरिक लेखा परीक्षा/सम्परीक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय आडिट कमेटी समितियों का गठन शासनादेश संख्याः 49/वि0आ0प्र0/2008 दिनांकः 01 अगस्त, 2008, 111/xxvii/(20)/2008 दिनांकः 21 नवम्बर, 2008, 95/xxvii(26)2009 दिनांकः 31 अगस्त, 2009, 96/xxvii(26)2009 दिनांकः 31 अगस्त, 2009, 157/xxvii(26)/2009 दिनांकः 27 नवम्बर, 2009 द्वारा किया गया था। महालेखाकार(लेखा परीक्षा) द्वारा अवगत कराया गया कि निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तर की संख्याः उत्तरोतर बढ़ती जा रही है। निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रस्तरों के निस्तारण के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग द्वारा लेखा परीक्षा समिति (Audit committee) का गठन किया जाना चाहिए।

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 के धारा 9 उपधारा 5(ख) के कम में उपरोक्त समस्त शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति, विभागीय लेखा परीक्षा समिति, राज्य स्तरीय सम्परीक्षा समिति के पुनर्गठन एवं उपरोक्त समितियों के कर्तव्य एवं दायित्वों की स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क. **लेखा परीक्षा आपत्तियों/प्रतिवेदन में आडिटी/संस्था के कर्तव्य एवं दायित्व**

1. आडिटी/विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्षों/संबन्धित आहरण वितरण अधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि महालेखाकार(लेखा परीक्षा) द्वारा बाह्य लेखा परीक्षा एवं निदेशालय(लेखा परीक्षा) द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा के समय समस्त अभिलेख समयान्तर्गत/समयानुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. इसी कम में उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 7 में लेखा परीक्षा अधियाचन(Audit Requisition) की अवज्ञा के संबन्ध में निम्नलिखित प्रावधान हैः–

"धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या उपधारा (4) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन विधिपूर्वक की गयी किसी अभिलेखों की अधियाचना की जान बूझकर उपेक्षा करना या उसका पालन करने से इंकार करने को संदिग्ध सत्यनिष्ठा का प्रकरण माना जायेगा एवं जो व्यक्ति विधिपूर्वक की गयी किसी अभिलेखों की अधियाचना की जान बूझकर उपेक्षा करता या उसका पालन करने से इन्कार करता है के विरूद्ध लागू सेवाशर्तों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी"।

3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) एवं आंतरिक लेखा परीक्षा में निर्गत रफ नोट (Rough Note) का उत्तर दिया जाना, कार्यालयध्यक्ष/संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। सम्बन्धित आडिटी संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में इंगित आपत्तियों का उत्तर (सहायक अभिलेखों के सहित) आडिट दल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन(Inspection Note) पर संबन्धित आडिटी द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने के 04 सप्ताह में विभागीय उप समिति के सम्मुख आख्या(सहायक अभिलेखों) सहित प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। संबन्धित आख्या महालेखाकार(लेखा परीक्षा) को अभिलेखों सहित भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

ख. विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति

1	विभाग के विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
2	महालेखाकार(लेखा परीक्षा), उत्तराखाण्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
3	वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, वित्त एवं लेखा सेवा वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
4	विभागाध्यक्ष द्वारा विभाग से नामित अधिकारी	सदस्य सचिव
5	सम्बन्धित आडिटी/कार्यालयध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी	सदस्य

आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट हेतु महालेखाकार(लेखा परीक्षा) के प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं होगी

विभागाध्यक्षीय लेखा परीक्षा उप समिति के कर्तव्य एवं दायित्वः–

1. समिति अनिवार्य रूप प्रत्येक त्रैमास कम– से –कम एक बैठक आयोजित करेगी।
2. समिति महालेखाकार द्वारा भाग–2 'ब' में इंगित आडिट आपत्तियों/टिप्पणियों पर कृत कार्यवाही करते हुए महालेखाकार को अनुपालन आख्या संस्तुति सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने एक माह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।
3. निदेशालय, लेखा परीक्षा के द्वारा निर्गत आंतरिक लेखा परीक्षा आपत्तियों/रिपोर्टों पर कार्यवाही करते हुए आहरण–वितरण अधिकारी/विभागीय उप समिति का कार्यालय ज्ञाप संख्याः 58/xxvii(11)/2016 दिनांकः 10 जून, 2016 के अनुसार समयानुसार निदेशालय निदेशालय लेखा परीक्षा, वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन को कार्यवृत्त सहित अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी जायेगी। तद्परान्त निदेशालय, लेखा परीक्षा उक्त शासनादेश के अनुसार ही अनुपालन आख्या पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4. महालेखाकार द्वारा भाग–2 'क' (गम्भीर आपत्तियों) एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा में पायी गयी गम्भीर वित्तीय आपत्तियों को विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति द्वारा शासन स्तर पर गठित विभागीय लेखा परीक्षा समिति आडिट समिति के सम्मुख विस्तृत आख्या प्रस्तुत करेगी।

5. विभाग स्तर पर महालेखाकार(लेखा परीक्षा) एवं आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु निम्नलिखित प्रारूप में रजिस्टर रखा जायेगाः–

क्र. सं.	आडिट निरीक्षण का वर्ष	आडिट रिपोर्ट में उल्लेखित प्रस्तर	आडिट रिपोर्ट प्रस्तर पर जिन अनुपालन होना है।	आडिट कमेटी द्वारा कृत कार्यवाही की संस्तुति	आडिट प्रस्तर (अनिस्तारित)	आडिट प्रस्तर जिनके उत्तर सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी से अप्राप्त है विलम्ब के कारण

ग. विभागीय लेखा परीक्षा समिति

1.	विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	अध्यक्ष
2.	महालेखाकार(लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
3	विभागाध्यक्ष	सदस्य
4	वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी	सदस्य
5	विभागाध्यक्ष द्वारा विभाग से नामित अधिकारी	सदस्य सचिव

आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट हेतु महालेखाकार(लेखा परीक्षा) के प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं होगी

विभागीय लेखा परीक्षा समिति के कर्तव्य एवं दायित्वः–

1. समिति अनिवार्य रूप से त्रैमासिक रूप से बैठक आयोजित करेगी।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) द्वारा भाग–दो 'क'(गम्भीर आपत्तियों) एवं आंतरिक परीक्षा में गम्भीर आपत्तियां (सरकारी धन का दुरूपयाग) राजकीय धन की क्षति, गबन, जालसाजी, (योजनाओं में अत्यधिक विलम्ब इत्यादि) जैसे प्रकरणों पर विभाग स्तर पर गठित विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति स्पष्ट आख्या विभागीय लेखा परीक्षा समिति को उपलब्ध करायेगी।
3. कमेटी द्वारा महालेखाकार(लेखा परीक्षा) एवं आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया सरकारी धन के दुरूपयोग गबन है, तो संबन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रशासकीय कार्यवाही(जॉच) कराते हुए उत्तरादायित्व निर्धारित एवं राजकीय धन वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
4. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) के भाग दो(अ) पर अनुपालन आख्या विभागीय लेखा परीक्षा समिति की संस्तुति सहित महालेखाकार(लेखा परीक्षा) को अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5. आंतरिक लेखा परीक्षा के अनुपालन आख्या शासनादेश संख्याः 58/xxvii(11)/2016 दिनांकः 10 जू.। 2016 के बिन्दु सं0 (ज) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

घ. **राज्य स्तरीय सम्परीक्षा समिति**

1	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4	सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5	संबन्धित प्रशासकीय विभाग के सचिव, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
6	महालेखाकार(लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
7	निदेशक, लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड।	सदस्य सचिव

मुख्य सचिव की सुविधानुसार समिति विभागों में विभिन्न लेखा परीक्षा(बाह्य एवं आंतरिक) विषयक रिपोर्टों/प्रशासकीय विभागों के स्तर पर गठित आडिट कमेटी के कार्यवृत्तों की समीक्षा करेगी। यह समिति विभागीय आडिट रिपोर्टों के गम्भीर प्रकरणों(गबन, जालसाजी, दुर्विनियोग आदि) पर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुझाव/आदेश दे सकेगी।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या– 159/xxvii(26)/2016 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।